

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कांकेर जिला के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पखांजुर ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है—

गैर वन / निजी भूमि (रकबा हे. में)	आरक्षित वन (रकबा हे. में)	संरक्षित वन (रकबा हे. में)	राजस्व वन (रकबा हे. में)	कुल वनभूमि (रकबा हे. में)
18.285	0.380	4.514	0.429	5.323

आवेदित वनभूमि में समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृश्टीकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्तावित कार्य हेतु वनक्षेत्र का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है।

इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आव यक एवं न्यूनतम है।



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कांकेर जिला के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पखांजुर ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.894 हे. वनभूमि, एवं राजस्व वनभूमि 0.429 हे. कुल रकबा 5.323 हे. वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वृक्षों का विदोहन सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कांकेर जिला के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पखांजुर ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.894 हे. वनभूमि, एवं राजस्व वनभूमि 0.429 हे. कुल रकबा 5.323 हे. वनभूमि पर किसी भी खड़े वृक्षों का विदोहन नहीं किया जाना है क्योंकि केबल हेतु 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्य आंरम्भ नहीं किये जाने सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत अंतर्गत कांकेर जिला के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पखांजुर में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.894 है. वनभूमि, एवं राजस्व वनभूमि 0.429 है. कुल रक्षा 5.323 है. वनभूमि पर 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है।

उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार का कार्य आंरम्भ नहीं किया गया है।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



अन्य निर्धारित शर्त सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कांकेर जिला के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत पखांजुर ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में अन्तिम अनुमति में प्रतिरोपित बातों के अलावा यदि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई अन्य शर्त भविष्य में निर्धारित करता है तो कम्पनी उसे मानने के लिए बाध्य होगी।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



रायपुर छत्तीसगढ़

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)